38

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

अशोक कुमार चटर्जी वगै० बनाम सुनील चटर्जी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं०–एम 29 / 2018 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे ओ०पी०) के अप्राथमिकी सं०–07/18 दिनांक–07-03-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि घरेलू जमीन विवाद को लेकर आपस में विवाद करना मौजा राहे खाता नं०-178, 163 प्लौट नं० 77, 78, रकबा 28 3/4 डी० पर उभय पक्ष में तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 06-04-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। 16/3/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
06-4-18	पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनावकार्य में व्यस्त। दिनांक 27-04-18 को रखें।	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	02 उपस्थित क्रमांक 01 अधिवक्ता प्रथम पक्ष वाले नहीं आने के कारण अधिवक्ता द्वारा गवाही हेतु अगली तिथि की मांग की गई। प्रथम पक्ष गवाही हेतु दिनांक 19-11-18 को रखे। (हस्ताक्षर) 2?/10/18
19-11-18	उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गई। कार्य व्यस्तता अन्य कार्य के कारण अगली तिथि 07-12-18 हेतु
07-12-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अतीत वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 07/12/18

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:32:07 +05:30
Location: 192.168.43.107